रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2003/श्रावण 13, 1925

No. 697] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2003/SRAVANA 13, 1925

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2003

का.आ. 887(अ).—दिनांक 07-05-2003 की असाधारण अधिसूचना सं. का.आ. 502(अ) के द्वारा पी. आर. सुब्रमणियम एवं अन्य बनाम संघ सरकार एवं अन्य (2002 की रिट याचिका सं. 099) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 15 जनवरी, 2003 के आदेशानुसार श्री बी. एन. मखीजा की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायाधिकरण के क्रम में केन्द्रीय सरकार न्यायाधिकरण के कार्यकाल को एतद्द्वारा 06-08-2003 से आगे तीन माह और बढ़ाती है। उल्लिखित अधिसूचना के साथ अनुबंधित सौपे गए कृत्य तथा निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

[फा. सं. एस.आर.-11014/1/2003-एमए]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2003

S.O. 887(E).—In continuation of Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 503(E) dated 07-05-2003 constituting one man Tribunal under the chairmanship of Shri B. N. Makhija the matter of Shri P. R. Subramaniam and others Versus Union of India and others (Writ Petition No. 099 of 2002) in accordance with the Calcutta High Court Order dated 15-01-2003 the Central Government grants extension of time to the Tribunal for 3 months with effect from 7th August, 2003. The Terms of Reference and other terms and conditions annexed to the said notification will remain unchanged.

[F. No. SR-11014/1/2003-MA]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

2209 GI/2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.